राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(147)नविवि / 3 / 2008 पार्ट–III जयपुर, दिनांकः 17 MAY 2023

आदेश

टेलीकॉम सेवाओं के संबंध में जारी विभागीय आदेश दिनांक 13.01.2023 के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ऑनलाईन सिस्टम में आवश्यक संशोधन करते हुए मोबाईल टॉवर के प्रकरणों में समस्त देय शुल्क / राशि आवेदन शुल्क के साथ ही जमा करवाया जावे एवं आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क / राशि जमा होने के पश्चात ही आवेदन ऑनलाईन स्वीकार कर इस तिथि से डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान नियमानुसार लागू किया जावें अर्थात आवेदक स्वीकार होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में यदि आवेदन का निस्तारण नही किया जाता है तो ऑनलाईन सिस्टम द्वारा ऐसे आवेदनों मे डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान का प्रमाण पत्र जारी किया जावें।
2. ओ.एफ.सी केबल के प्रकरणों में रिस्टोरेशन चार्जेज हेतु यूनिफार्म दरे निर्धारित नही होने से समस्त राशि आवेदन के समय जमा कराई जानी संभव नही है। अतः इन प्रकरणों में रिस्टोरेशन चार्जेज के अलावा अन्य समस्त देय शुल्क आवेदन के समय ऑनलाईन जमा कराया जा कर ऐसे आवेदनों को स्वीकृत कर इस तिथि से डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान नियमानुसार लागू किया जावें तथा अधिकतम 30 दिवस में अनिवार्य रूप से रिस्टोरेशन चार्जेज हेतु राशि की गणना का डिमाण्ड नोट ऑनलाईन आवेदक को दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. प्राप्त आवेदन को निर्धारित समयावधि में निरस्त किये जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क के अतिरिक्त जमा राशि आवदेक को लौटाई जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. Sr. DDG, License Service Area, Dot, Rajasthan.
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।

11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
15. श्री मुकेश अरोड़ा, अतिरिक्त निदेशक, नविवि, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय